



राजस्थान RAJASTHAN

Page 1 of 4

P 960028



॥श्रीरामजी॥

स्टाम्प ड्यूटी
500.00रूपये

रजिस्ट्रेशन
100.00रूपये

कॉपिंग फीस
200.000रूपये

संपरिवर्तन आदेश (पट्टा)

श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति टोडी सचिव श्री धर्म सिंह जरिये

अप पंजीयक, उदयपुरवाटी

डाइरेक्टर श्रीकृष्ण चाहर पुत्र श्री हरनन्दराम जाति जाट निवासी


ग्राम तोगड़ा कला हाल आबाद टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला

झुन्झुनू के निवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति

में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू - राजस्व

(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के

V. Ishar




राजस्थान RAJASTHAN

Page 2 of 4

P 960017

1458

लिए संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 9(3)(4)(6) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए उक्त श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति टोडी जरिये सचिव श्री धर्मसिंह पुत्र श्री हरनन्द राम जाति जाट निवासी तोगड़ाकलां हाल टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राजस्थान) के पक्ष में जरिये संपरिवर्तन आदेश संख्या/रूपा./11/87 दिनांक 28.11.11 को ग्राम टोडी के भूमि खसरा नं0 1826/583 रकबा 0.44 हैक्टर में से 1000 वर्गमीटर भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु किया गया। संदेय प्रीमियम जरिये चालान संख्या 171 दिनांक 28.11.11 को राशि 5003/- रुपये व जरिये चालान संख्या 172 दिनांक 28.11.11 को राशि



Page 3 of 4

P 960018

राजस्थान RAJASTHAN



5002/- रुपये इस प्रकार कुल 10005/- रुपये अक्षरे दस हजार पांच रुपये जमा की जा चुकी है।

उक्त संपरिवर्तन आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, द्वारा प्रदत्त किया गया है। जिसके पंजियन हेतु स्टाम्प ड्यूटी 500/- रुपये प्रस्तुत है। संपरिवर्तन आदेश मय नक्शा साथ संलग्न है।

दिनांक :28.11.11

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता

V. Shankar

470 28/11/11
 100/3
 श्री. श्रद्धानाथ सेवा समिती तडी/श्री. कृष्ण चाहार/डायरेक्टर
 वकील 810 62-13-28 5/12
 श्री. श्रद्धानाथ सेवा समिती तडी/श्री. कृष्ण चाहार/डायरेक्टर
 फोटो-पंजीयक

Vishwanath

हस्ताक्षर एवं अंगूठा
 पुंजीयक
 उदापुरवाती

अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
 1-SHRDHANATH SEVA SAMITI TODI/SHRI KRISHAN
 CHAHAR/DIRECTOR
 Age 45. Caste-JAT
 Ocu.-BUSINESS
 R/O-GRAM TOGARA KALA HAAL TODI

Vishwanath



(And Claimant)
 1-S.D.O. UDAIPURWATI/S.D.O. UDAIPURWATI
 Age 0. Caste-NA
 Ocu.-NA
 R/O-S.D.O. UDAIPURWATI

ने लेख्यपत्र LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA)
 को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
 प्रतिफल राशी रू0 10005/- पूर्व में/मेरे
 समक्ष/मे से रू0 10005/-पूर्व में _____
 यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
 1. श्री/श्रीमती/सुश्री SURENDRA SAINI
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री KURDARAM SAINI उम्र 29 वर्ष
 जाति MALI व्यवसाय AGRI
 निवासी GRAM BARWASI TEH- NAWALGARH

Surendra


2. श्री/श्रीमती/सुश्री SUBHAS
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री LAXMAN उम्र 30 वर्ष
 जाति MEENA व्यवसाय AGRI
 निवासी GRAM DHANI BIJARANIYA ने की है जिनके

Subhas

समस्त हस्ताक्षर एवं अंगूठा के निशान मेरे समक्ष लिये गये हैं।



(2011004567) उप पंजीयक, UDAIPURVATI
 (LEASE DEED FOR LOCAL BODIES (PATTA))



राजस्थान RAJASTHAN

Page 4 of 4


P 960027





साक्षीगण :

1. श्री .सुरेन्द्र सैनी पुत्र श्री कुरड़ाराम जाति माली निवासी
ग्राम बड़वासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू-राज0।।
2. श्री सुभाष पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह मीणा जाति मीणा आयु
35 वर्ष निवासी ग्राम ढाणी बिजारणिया तहसील
उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू-राज0।

हस्ताक्षर साक्षीगण

1. 

2. 



कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

दिनांक:- 28/11/2011

कमांक/रूपा0/11/ 87

संपरिवर्तन आदेश

श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति टोडी जरिये सचिव धर्मसिंह पुत्र हरनन्द राम जाति जाट निवासी तोगड़ाकला हाल टोडी तहसील उदयपुरवाटी ग्राम टोडी की सरहद में स्थित स्वयं की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1826/583 रकबा 0.44 है० में से 1000 वर्ग मीटर का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिए आवेदन किया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू- राजस्व (ग्रामिण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है।:-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति टोडी जरिये सचिव धर्मसिंह पुत्र हरनन्द राम जाति जाट निवासी तोगड़ाकला हाल टोडी तहसील उदयपुरवाटी
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है ?	-
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा: (क) ग्राम /ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (क) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	ग्राम टोडी ग्राम पंचायत दुड़ियां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ख० नं० 1826/583 रकबा 0.44 है. ख० नं० 1826/583 रकबा 0.44 है. में से 1000 वर्ग मीटर का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन
टिप्पणी:- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।		
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ
5	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई पिमीयम की रकम	चालान संख्या 171 दिनांक 28.11.11 के द्वारा प्रिमियम 5003 रूपये व 172 दिनांक 28.11.11 के जरिये प्रिमियम 5002 रूपये जमा
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शारित यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम .	शुन्य
7	चालान की संख्या तथा तारीख ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शुन्य
8	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	नहीं
9	अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हो	नहीं

सत्य प्रति-



उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी

2

10

उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-

- (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
- (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याह कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समपहत हो जायेगा।
- (3) नियम -4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिय नहीं किया जायेगा।
- (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
- (5) इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार गुढागोडजी से नवलगढ सड़क के मध्य से 15 मीटर निर्धारित दूरी राज्य पक्ष में छोड़नी होगी।
- (6) निकटस्थ नगरपालिका / ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी।
- (7) राजस्व विभाग , सार्वजनिक निर्माण विभाग , शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश / परिपत्र एवं दिशा- निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।



क्रमांक/रूपा0/11/1164-68

दिनांक:- 28/11/2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झुन्झुनू
2. तहसीलदार / उपपंजियक उदयपुरवाटी
3. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग गुढागोडजी
4. सरपंच ग्राम पंचायत दुडियां
5. श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति टोडी जरिये सचिव धर्मसिंह पुत्र हरनन्द राम जाति जाट निवासी तोगड़ांकला हाल टोडी तहसील उदयपुरवाटी

72
11-11-11
11-11-11
40
2011

(Handwritten signature)

सत्य प्रसि-लि

९

उपसभ्य अधिकारी

उपसभ्य अधिकारी
उदयपुरवाटी



राजस्थान RAJASTHAN

Page 1 of 4

P 960020



॥श्रीरामजी॥

स्टाम्प ड्यूटी

रजिस्ट्रेशन

कॉपिंग फीस

500.00रूपये

100.00रूपये


200.000रूपये

संपरिवर्तन आदेश (पट्टा)

अप्राप्त, उदयपुरवाटी

श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति टोडी जरिये डायरेक्टर श्रीकृष्ण
चाहर पुत्र हरनन्द जाति जाट निवासी तोगड़ाकलां हाल टोडी
तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राजस्थान) के निवेदन पर
उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान
भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के

M. K. Singh




राजस्थान RAJASTHAN

Page 2 of 4

P 960021

लिए संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 9(3)(4)(6) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए उक्त श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति टोडी जरिये डायरेक्टर श्रीकृष्ण चाहर पुत्र हरनन्द जाति जाट निवासी तोगड़ाकलां हाल टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राजस्थान) के पक्ष में जरिये संपरिवर्तन आदेश संख्या/रूपा. /11/86 दिनांक 28.11.11 को ग्राम टोडी के भूमि खसरा नं० 583 रकबा 0.9233 हैक्टर में से 1000 वर्गमीटर भूमि का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु किया गया। संदेय प्रीमियम जरिये चालान संख्या 169 दिनांक 28.11.11 को राशि 5003/- रुपये व जरिये चालान संख्या 170 दिनांक 28.11.11 को राशि 5002/-

2/1/2011



राजस्थान RAJASTHAN

Page 3 of 4

P 960022

11-11-58

रुपये इस प्रकार कुल 10005/- रुपये अक्षरे दस हजार पांच रुपये जमा की जा चुकी है।


उक्त संपरिवर्तन आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, द्वारा प्रदत्त किया गया है। जिसके पंजियन हेतु स्टाम्प ड्यूटी 500/- रुपये प्रस्तुत है। संपरिवर्तन आदेश मय नक्शा साथ संलग्न है।

दिनांक :28.11.11

हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता

सुमित


Vishwanath



राजस्थान RAJASTHAN

Page 4 of 4

P 960023



साक्षीगण :

1. श्री सुरेन्द्र पुत्र श्री कुश्राराम जाति भाली निवासी
ग्राम कड़वाही (कलकतिया) झोड्ड तहसील
कवलगढ़ जिला झुन्झुनू।
2. श्री सुभाष पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह मीणा जाति मीणा आयु
35 वर्ष निवासी ग्राम ढाणी बिजारणिया तहसील
उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू-राज0।

हस्ताक्षर साक्षीगण

1.

2. सुभाष

दस्तावेज 590
29.11.11

मिस्टर. 50
clarified some

R.C.A.A. (MP-3)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

दिनांक:- 28/11/2011

कमांक/रूपा0/11/86

संपरिवर्तन आदेश

श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति टोडी जरिये डायरेक्टर श्रीकृष्ण चाहर पुत्र हरनन्द राम जाति जाट निवासी तोगड़ाकला हाल टोडी तहसील उदयपुरवाटी ग्राम टोडी की सरहद में स्थित स्वयं की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि खसरा नम्बर 583 रकबा 0.9233 है0 में से 1000 वर्ग मीटर का वाणिज्यिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिए आवेदन किया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू- राजस्व (ग्रामिण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई हैं:-



1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति टोडी जरिये डायरेक्टर श्रीकृष्ण चाहर पुत्र हरनन्द राम जाति जाट निवासी तोगड़ाकला हाल टोडी तहसील उदयपुरवाटी
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है ?	-
3	संपरिवर्तन भूमि का व्योरा: (क) ग्राम / ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (क) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	ग्राम टोडी ग्राम पंचायत दुड़ियां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू ख0 नं0 583 रकबा 0.9233 है. ख0 नं0 583 रकबा 0.9233 है. में से 1000 वर्ग मीटर का वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन
टिप्पणी:- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।		
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ
5	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई पिमीयम की रकम	चालान संख्या/69 दिनांक 28.11.11 के द्वारा प्रिमियम 5003 रुपये व/70 दिनांक 28.11.11 के जरिये प्रिमियम 5002 रुपये जमा
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शुन्य
7	चालान की संख्या तथा तारीख ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शुन्य
8	क्या आदेश नियमितिकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	नहीं
9	अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हो	नहीं

सत्य प्रति-लिपि

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी जिला

28/11/2011

- 10 उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-
- (1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
 - (2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समपहत हो जायेगा।
 - (3) नियम -4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिय नहीं किया जायेगा।
 - (4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
 - (5) इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार गुढागोड़जी से नवलगढ सड़क के मध्य से 15 मीटर निर्धारित दूरी राज्य पक्ष में छोड़नी होगी।
 - (6) निकटस्थ नगरपालिका / ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी।
 - (7) राजस्व विभाग , सार्वजनिक निर्माण विभाग , शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश / परिपत्र एवं दिशा- निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।



उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी
उदयपुरवाटी (मुहल्ला)

क्रमांक/रूपा0/11/1159-63

दिनांक:- 28/11/2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झुन्झुनू
2. तहसीलदार / उपपंजियक उदयपुरवाटी
3. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग गुढागोड़जी
4. सरपंच ग्राम पंचायत दुड़ियां
5. श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति टोडी जरिये डायरेक्टर श्रीकृष्ण चाहर पुत्र हरनन्द राम जाति जाट निवासी तोगड़ाकला हाल टोडी तहसील उदयपुरवाटी

71
11-11-19
11-11-19
11-11-2019
10/11/2011
2

10

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी
उदयपुरवाटी (मुहल्ला)

सत्य प्रतिलिपि



राजस्थान RAJASTHAN

Page 1 of 4

B 171624



।।श्रीरामजी।।

स्टाम्प ड्यूटी
1250.00रूपये

रजिस्ट्रेशन
250.00रूपये

कॉपिंग फीस
200.000रूपये

संपरिवर्तन आदेश (पट्टा)

श्री श्रीरामजी
उदयपुरवाटी

श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति टोडी जरिये डायरेक्टर श्रीकृष्ण चाहर पुत्र हरनन्द जाति जाट निवासी तोगड़ाकलां हाल टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूँ (राजस्थान) के निवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के

Handwritten signature

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

₹. 500



FIVE HUNDRED
RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500


INDIAN NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

Page 2 of 4

B 171627

सेवा समिति टोडी जरिये डायरेक्टर श्रीकृष्ण चाहर पुत्र हरनन्द
जाति जाट निवासी तोगड़ाकलां हाल टोडी तहसील
उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूँ (राजस्थान) के पक्ष में जरिये
संपरिवर्तन आदेश संख्या/रूपा./11/89 दिनांक 12.12.2011
को ग्राम टोडी के भूमि खसरा नं० 1826/583 रकबा 4400 वर्ग
मीटर में से 2500 वर्गमीटर भूमि का शैक्षणिक प्रयोजन हेतु किया
गया। संदेय प्रीमियम जरिये चालान संख्या 17.5 दिनांक 12-12-2011
को राशि 12505/- रुपये व जरिये चालान संख्या 17.6
दिनांक 12-12-2011 को राशि 12505/- रुपये इस प्रकार
कुल 25010/- रुपये अक्षरे पच्चीस हजार दस रुपये जमा की
जा चुकी है।



राजस्थान RAJASTHAN

Page 3 of 4

P 960060

उक्त संपरिवर्तन आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, द्वारा प्रदत्त किया गया है। जिसके पंजियन हेतु स्टाम्प ड्यूटी 1250/- रुपये प्रस्तुत है। संपरिवर्तन आदेश मय नक्शा साथ संलग्न है।


दिनांक :12.12.2011

V. Khan
हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता

साक्षीगण :

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये
रु. 50



FIFTY
RUPEES
Rs. 50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

Page 4 of 4

D 029524

1. सुरेन्द्र पुत्र श्री कुरडाराम सैनी जाति माली आयु 29 वर्ष
पेशा काश्त निवासी ग्राम बड़वासी तहसील नवलगढ।
2. सम्पत कुमार पुत्र श्री विद्याधर सिंह जाति जाट आयु 36
वर्ष पेशा व्यापार निवासी ग्राम टोडी।

हस्ताक्षर साक्षीगण

1.

2.

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी , उदयपुरवाटी जिला झुन्डुनू

कमांक/रूपा0/11/ 89

दिनांक:- 12/12/2011

संपरिवर्तन आदेश

श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति जरिये सचिव श्री धर्मसिंह पुत्र हरनन्दराम जाति जाट निवासी तोगड़ांकला हाल टोडी तहसील उदयपुरवाटी द्वारा ग्राम टोडी की सरहद में स्थित स्वयं की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि खसरा नम्बर 1826/583 रकबा 0.4400 है0 में से 2500 वर्ग मीटर का शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिए आवेदन किया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू- राजस्व (ग्रामिण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है।:-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति जरिये सचिव श्री धर्मसिंह पुत्र हरनन्दराम जाति जाट निवासी तोगड़ांकला हाल टोडी तहसील उदयपुरवाटी
2.	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है ?	-
3.	संपरिवर्तन भूमि का व्योरा: (क) ग्राम /ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (क) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	ग्राम टोडी ग्राम पंचायत दुडियां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्डुनू खसरा नम्बर 1826/583 रकबा 0.4400 है0 खसरा नम्बर 1826/583 रकबा 0.4400 है0 में से 2500 वर्ग मीटर का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन
	टिप्पणी:- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दशति हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमियम की रकम	चालान संख्या 175 दिनांक 12.12.11 के द्वारा प्रिमियम 12505 व 176 दिनांक 12.12.11 के जरिये प्रिमियम 12505 रूपये जमा
6.	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शुन्य
7.	चालान की संख्या तथा तारीख ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शुन्य
8.	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	नहीं


सत्य प्रति-लिपि

OR

पाठक

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्डुनू)

9.	अन्य कोई विशिष्टिया यदि कोई हो	नहीं
10	<p>उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन होगा :-</p> <p>(1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।</p> <p>(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याह कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समपहत हो जायेगा।</p> <p>(3) नियम -4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिय नहीं किया जायेगा।</p> <p>(4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।</p> <p>(5) इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार गुढा से भोड़की सड़क के मध्य से निर्धारित 15 मीटर दूरी राज्य पक्ष में छोड़नी होगी।</p> <p>(6) निकटस्थ नगरपालिका/ ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी।</p> <p>(7) राजस्व विभाग , सार्वजनिक निर्माण विभाग , शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश/ परिपत्र एवं दिशा- निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।</p> <p>(8) राज्य सरकार के निर्देशानुसार भूमि भवन निर्माण के अतिरिक्त छोड़नी होगी।</p>	



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी (झुन्डुनू)

दिनांक:- 12/12/2011

कमांक/रूपा0/11/ 1257-61

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झुन्डुनू
2. तहसीलदार/ उपपंजियक उदयपुरवाटी
3. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग गुढागोड़जी
4. सरपंच ग्राम पंचायत दुड़ियां
5. श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति जरिये सचिव श्री धर्मसिंह पुत्र हरनन्दराम जाति जाट निवासी तोगड़ांकला हाल टोडी तहसील उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्डुनू)

साथ प्रतिलिपि

उपखण्ड अधिकारी

23
की तारीख 11-12-2011
11-12-11
4/5



राजस्थान RAJASTHAN

Page 1 of 4

B 171626



।।श्रीरामजी।।

स्टाम्प ड्यूटी

रजिस्ट्रेशन

कॉपिंग फीस

1250.00रूपये

250.00रूपये

200.000रूपये

संपरिवर्तन आदेश (पट्टा)

उदयपुरवाटी, उदयपुरवाटी

जरिये डायरेक्टर श्रीकृष्ण चाहर सचिव श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति टोडी
तोगड़ाकलां हाल टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू
(राजस्थान) के निवेदन पर उसकी खातेदारी अभिधृति में धारित
कृषि भूमि का राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि
का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम
9(3)(4)(6) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए उक्त श्री श्रद्धानाथ

Handwritten signature



Page 2 of 4

B 171625

राजस्थान RAJASTHAN




लिए संपरिवर्तन नियम 2007 के नियम 9(3)(4)(6) के अधीन अकृषि प्रयोजन के लिए उक्त श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति टोडी जरिये डायरेक्टर श्रीकृष्ण चाहर पुत्र हरनन्द जाति जाट निवासी तोगड़ाकलां हाल टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूँ (राजस्थान) के पक्ष में जरिये संपरिवर्तन आदेश संख्या/रूपा. /11/89 दिनांक 12.12.2011 को ग्राम टोडी के भूमि खसरा नं० 583 रकबा 9233 वर्ग मीटर में से 2500 वर्गमीटर भूमि का शैक्षणिक प्रयोजन हेतु किया गया। संदेय प्रीमियम जरिये चालान संख्या 1517..... दिनांक 12.12.11 को राशि 12505/- रुपये व जरिये चालान संख्या 1518..... दिनांक 12.12.11 को राशि

Wishan

भारतीय गैर न्यायिक

पचास
रुपये

रु.50



FIFTY
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

Page 4 of 4

D 029525


साक्षीगण :

1. सुरेन्द्र पुत्र श्री कुरड़ाराम सैनी जाति माली आयु 29 वर्ष
पेशा काश्त निवासी ग्राम बड़वासी तहसील नवलगढ।
2. सम्पत कुमार पुत्र श्री विद्याधर सिंह जाति जाट आयु 36
वर्ष पेशा व्यापार निवासी ग्राम टोडी।

हस्ताक्षर साक्षीगण

1.

2.



राजस्थान RAJASTHAN

Page 3 of 4

P 960059

12505/- रूपये इस प्रकार कुल 25010/- रूपये अक्षरे पच्चीस हजार दस रूपये जमा की जा चुकी है।

उक्त संपरिवर्तन आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी, द्वारा प्रदत्त किया गया है। जिसके पंजियन हेतु स्टाम्प ड्यूटी 1250/- रूपये प्रस्तुत है। संपरिवर्तन आदेश मय नक्शा साथ संलग्न है।

दिनांक :12.12.2011

Nishanof
हस्ताक्षर निष्पादनकर्ता

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी , उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

कमांक/रूपा0/11/190


दिनांक:- 12/12/2011

संपरिवर्तन आदेश

श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति जरिये डायरेक्टर श्रीकृष्ण चाहर पुत्र हरनन्दराम जाति जाट निवासी तोगडांकला हाल टोडी तहसील उदयपुरवाटी द्वारा ग्राम टोडी की सरहद में स्थित स्वयं की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि खसरा नम्बर 583 रकबा 0.9233 है० में से 2500 वर्ग मीटर का शैक्षणिक प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन के लिए आवेदन किया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू- राजस्व (ग्रामिण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है।:-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति जरिये डायरेक्टर श्रीकृष्ण चाहर पुत्र हरनन्दराम जाति जाट निवासी तोगडांकला हाल टोडी तहसील उदयपुरवाटी
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है ?	-
3	संपरिवर्तन भूमि का व्योरा: (क) ग्राम /ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में) (क) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	ग्राम टोडी ग्राम पंचायत दुड़ियां तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू खसरा नम्बर 583 रकबा 0.9233 है० खसरा नम्बर 583 रकबा 0.9233 है० में से 2500 वर्ग मीटर का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन
	टिप्पणी:- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दर्शाते हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।	
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमियम की रकम	चालान संख्या 177 दिनांक 12.12.11 के द्वारा प्रिमियम 12505 व 178 दिनांक 12.12.11 के जरिये प्रिमियम 12505 रुपये जमा
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शुन्य
7	चालान की संख्या तथा तारीख व्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शुन्य
8	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के	नहीं

सत्य प्रति-लिपि




उपखण्ड अधिकारी

उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू



	अधीन जारी किया गया है।	
9.	अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हो	नहीं
10	<p>उपर्युक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा :-</p> <p>(1) उपर्युक्त अकृषिक प्रयोजन लिए संपरिवर्तित भूमि का उपयोग विहित प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।</p> <p>(2) यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से 2 वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिये भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत कर ली जायेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया प्रीमियम धन समपहत हो जायेगा।</p> <p>(3) नियम -4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अकृषिक प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।</p> <p>(4) लोकोपयोगी प्रयोजन के लिये संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग का अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिये उपयोग विहित प्राधिकारी से विधि मान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।</p> <p>(5) इण्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित मापदण्डानुसार गुढा से भोड़की सड़क के मध्य से निर्धारित 15 मीटर दूरी राज्य पक्ष में छोड़नी होगी।</p> <p>(6) निकटस्थ नगरपालिका/ ग्राम पंचायत की उपविधियों की पालना करनी होगी।</p> <p>(7) राजस्व विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग एवं राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेश/ परिपत्र एवं दिशा- निर्देशों की पालना के लिये आवेदक बाध्य होगा।</p> <p>(8) राज्य सरकार के निर्देशानुसार भूमि भवन निर्माण के अतिरिक्त छोड़नी होगी।</p>	



उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्डुनू)
दिनांक:- 12/12/2011

कमांक/रूपा0/11/1252-56

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय झुन्डुनू
2. तहसीलदार/ उपपंजियक उदयपुरवाटी
3. सहायक अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग गुढागोड़जी
4. सरपंच ग्राम पंचायत दुड़ियां
5. श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति जरिये डायरेक्टर श्रीकृष्ण चाहर पुत्र हरनन्दराम जाति जाट निवासी तोगडांकला हाल टोडी तहसील उदयपुरवाटी

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्डुनू)

सत्य प्रति-लाप

सत्य प्रति-लाप
उपखण्ड अधिकारी

74

11-12-2011
11-12-2011
11-12-2011

Handwritten signature/initials

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA



6.06.2020
राजस्थान RAJASTHAN

C 441348

।।श्रीरामजी।।


स्टाम्प ड्यूटी
500.00 रुपये

रजिस्ट्रेशन
100.00 रुपये

कॉपिंग फीस
200.00 रुपये

श्री डाईरेक्टर श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति टोडी तहसील उदयपुरवाटी श्रीकृष्ण चाहर पुत्र श्री हरनन्दराम जाति जाट निवासी ग्राम टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू-राज0 द्वारा अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाके ग्राम टोडी पटवार हल्का दुड़ियां का भूमि खसरा नं. 583 क्षेत्रफल 0.7352 हैक्टेयर में से 3831 वर्ग मीटर भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन हेतु श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय उदयपुरवाटी के यहां आवेदन किए जाने पर राजस्थान भू-राजस्व (ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिये संपरिवर्तन) नियम, 2007 के नियम 9 एवं 2012 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए वाके ग्राम टोडी पटवार हल्का दुड़ियां का भूमि खसरा नं. 583 क्षेत्रफल 0.7352 हैक्टेयर में से 3831 वर्ग मीटर भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ के लिए संपरिवर्तन किया गया है।

यह है कि उक्त संपरिवर्तन हेतु वांछित प्रीमियम राशि जरिए चालान संख्या 90044403 दिनांक 19.06.2020 राशि रु. 136850/- अक्षरे रूपए एक लाख छत्तीस हजार आठ सौ पचास मात्र जमा की जा चुकी है।



उप पंजीयक गुदा गौड़जी

राजस्थान राज्य 1948 के अन्तर्गत राज्य
शक्ति एवं - विद्युत अधिनियम
1. अक्षांश और अक्षांतर (सुविधा) हेतु
2. अक्षांश और अक्षांतर (सुविधा) हेतु
3. अक्षांश और अक्षांतर (सुविधा) हेतु

यह है कि उक्त संपरिवर्तन आदेश श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय उदयपुरवाटी के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक 03 दिनांक 29.06.2020 के द्वारा जारी किया गया है।



अतः उक्त संपरिवर्तन आदेश के पंजीयन हेतु निर्धारित मुद्रांक शुल्क रू. 5000/- नग किता 1 वास्ते पंजीयन पेश है।

दिनांक 02.07.2020


हस्ताक्षर आवेदक

गवाहान :-

1. श्री रोहिताश कुमार पुत्र श्री रामस्वरूप वर्मा जाति कुमावत आयु 21 वर्ष पेशा काश्त निवासी ग्राम गुढागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू-राज0।
2. श्री सुरेन्द्र सैनी पुत्र श्री कुरड़ाराम सैनी जाति माली आयु 37 वर्ष पेशा काश्त निवासी ग्राम बड़वासी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू-राज0।

1.  2. 
(सुरेन्द्र सैनी)

लाई0 नं0 20/12 प्रलेख संख्या...१.५७.....दिनांक 02.07.2020 लि.रू. 50/-

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू

संपरिवर्तन आदेश क्रमांक:- 3

दिनांक:- 29-6-2020




संपरिवर्तन आदेश

श्री डायरेक्टर श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू द्वारा ग्राम टोडी तहसील उदयपुरवाटी के भूमि खसरा नम्बर 583 रकबा 0.7352 है0, में से 3831 वर्गमीटर भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन के लिए आवेदन किया है। अतः आवेदक की खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू- राजस्व (ग्रामिण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9 एवं 2012 के अधीन अकृषिक प्रयोजन के लिए संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियां नीचे दी गई है :-

1	आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पति के नाम सहित तथा पूरा पता	श्री डायरेक्टर श्री श्रद्धानाथ सेवा समिति टोडी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।
2	क्या आवेदक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति का सदस्य है ?	-
3	संपरिवर्तन भूमि का ब्योरा: (क) ग्राम /ग्राम पंचायत/तहसील का नाम (ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल (हैक्टेयर में). (क) प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल उपदर्शित करते हुये संपरिवर्तन क्षेत्रफल (हैक्टेयर या वर्गमीटर में)	ग्राम टोडी के भूमि खसरा नम्बर 583 रकबा 0.7352 में से 3831 वर्गमीटर भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन
टिप्पणी:- अकृषि प्रयोजन के लिये संपरिवर्तन भूमि को दशाति हुये राजस्व नक्शे के सुसंगत भाग की सम्यकरूप से सत्यापित प्रति संलग्न है।		
4	संपरिवर्तन का प्रयोजन	शैक्षणिक प्रयोजनार्थ
5	चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रिमियम की रकम	चालान संख्या J 90044403 दिनांक 19.06.2020 के द्वारा प्रिमियम राशि 136850/- रूपयें अक्षरे एक लाख छतीस हजार आठ सो पचास मात्र
6	चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शुन्य
7	चालान की संख्या तथा तारीख ब्याज यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम	शुन्य
8	क्या आदेश नियमितकरण के लिये नियम 13 के अधीन जारी किया गया है।	नहीं
9	अन्य कोई विशिष्टियां यदि कोई हो /मुख्य सड़क से रूपान्तरित भूमि की दूरी	नहीं

29
उपखण्ड अधिकारी
उदयपुरवाटी (झुन्झुनू)







Endorsement of Execution

अनु क्र.	पक्षकारों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	पक्षकारों का प्रकार
1	श्री/श्रीमती/सुश्री Shri Krishan Chahar, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री Hamandram, व्यवसाय Farmer जाति jat House No.:todi, Colony: todi, Area: todi, City: todi, Pin code: 333022, District: JHUNJHUNU, State: RAJASTHAN			Presenter Age : 50 Signature : 

ने लेख्यपत्र Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules. को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया ।

प्रतिफल राशि रु 136850/- पूर्व में / मेरे समक्ष / में से रु 136850/- पूर्व में ----- ये मेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया ।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान निम्न व्यक्तियों ने की है , जिनके हस्ताक्षर एवं अंगूठा निशान मेरे समक्ष लिए गए हैं।

अनु क्र.	गवाहों का नाम व पता	छायाचित्र	अंगूठा	हस्ताक्षर
1	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Rohitash Kumar, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री ramswaroop जाति jat Age: 21 Add: House No.:gudhagorji, Colony: gudhagorji, Area: gudhagorji, City: gudhagorji, Pin code: 333022, District: JHUNJHUNU, State: RAJASTHAN			Signature 
2	Name: श्री/श्रीमती/सुश्री Surendra Saini, पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री kurdaram जाति mali Age: 37 Add: House No.:barwasi, Colony: barwasi, Area: barwasi, City: barwasi, Pin code: 333042, District: JHUNJHUNU, State: RAJASTHAN			Signature 

202001331001083


उपरोक्त गवाहों के द्वारा

Order of conversion of land under the Rajasthan Land Revenue (Conversion of agricultural land for non-agricultural purposes in rural area) Rules, 2007 or any other relevant rules.

Government of Rajasthan
REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT, RAJASTHAN, AJMER
SUB-REGISTRAR : GUDAGORJI

Fee Receipt

Appendix I-Form No. 9 (Rule 75 & 131)

Print Date : 02-07-2020 2:51 PM

Fee Receipt No	: 202002331001067	Receipt Date	: 02/07/2020
Name	: Shri Krishan Chahar,	Document S. No.	: 202001331001083
Address	: Iodi ,todi ,todi ,JHUNJHUNU		
Document Type	: Lease granted for a fine or premium or money advanced or development charges or security charges advanced in addition to the rent		
Face Value	: ₹ 136850	Evaluated Value	: ₹ 0
Ord-Registration Fee	: ₹ 1369	Fee for Memorandum Us_64_67	: ₹
CSI	: ₹ 300	Certified copying fees Us_57	: ₹ 0
Stamp (Memorandum)	: ₹	Reg (memorandum)	: ₹
Surcharge	: ₹ 1500	Stamp Duty	: ₹ 5000
Penalty	: ₹ 0	Inspection fee	: ₹ 0
Us_25_34	: ₹ 0	Commission	: ₹ 0
Custody	: ₹	Others	: ₹ 0
		Cash Amount Received	: ₹ 0
		Other than Cash	: ₹ 8169
		Total Amount	: ₹ 8169

Mode of Payment (#Mode Number Amount #)

*Rebate U/S 9(1) : ₹ 2737

Stamp N.A. ₹ 6500 # e-Gras Challan 40455089 ₹ 1669


Signature of presenter or applicant for
copy or Search certificate


Cashier


Signature of recipient
and date-of-return receipt


SUB-REGISTRAR

श्री प्रजापति गुडा गोरजी



नाम नं० २११ फ्रीड एप्रिल २०१७
 तहसील उदयपुरवाडी जिला मुम्बई
 प्लॉट नं० १ हीन = १० हीन
 एअर १५६५-२०



प्लानिटेड प्लॉट
 विद्युत पोल की
 बगैची एअर (15x15 मी)

१०५५४
 १३५७१११ 18/3/2020
 पारदर्शक नियम 3411
 नाम जारी की

२१

उपखण्ड अधिकारी
 उदयपुरवाडी (मुम्बई)
 सहसिलवार
 उदयपुरवाडी जिला मुम्बई

18/3/2020
 उदयपुरवाडी
 उदयपुरवाडी